

रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर
(पूर्व नाम जबलपुर विश्वविद्यालय, जबलपुर)




मांक / अकादमिक / 2020 / 5389

जबलपुर, दिनांक: 21/12/20

अधिसूचना

कोविड-19 महामारी एवं म.प्र. शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न शिक्षण विभागों में व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रवेशित छात्र-छात्राओं को प्रवेश के समय शिक्षण शुल्क की कुल राशि का 50 प्रतिशत जमा किये जाने एवं शेष राशि दो किश्तों में विभागाध्यक्ष द्वारा तय तिथि तक जमा किये जाने की सुविधा प्रदान की जाती है।


आदेशानुसार,


प्रभारी कुलसचिव
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर
जबलपुर, दिनांक: 21/12/20

पृ.क्र / अकादमिक / 2020 / 5389

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. समस्त विभागाध्यक्षों की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
2. समन्वयक, आई.क्यू.ए.सी. प्रकोष्ठ, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
3. प्रभारी जनसंपर्क प्रकोष्ठ / मीडिया, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
4. प्रभारी, कम्प्यूटर सेंटर, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
5. नोडल अधिकारी, ऑनलाईन सेल, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।
6. कुलपति जी के सचिव / कुलसचिव जी के निज सहायक, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, जबलपुर।


सहायक कुलसचिव (अकादमिक)
रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय,
जबलपुर